भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3964

12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

बीस सूत्री कार्यक्रम

3964. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
श्री राजेश वर्माः
श्री अतुल गर्गः
श्रीमती शांभवीः
श्री अरुण भारतीः
डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025-2026 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) के अंतर्गत निर्धारित गरीबी उपशमन और अवसंरचना लक्ष्यों के संबंध में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन क्या है;

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ग्रामीण आवास निर्माण, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था और वनीकरण जैसे विशिष्ट मानदंड क्या हैं जो निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं अथवा उससे अधिक हैं;

(ग) क्या मंत्रालय की तिमाही रिपोर्टों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसियों का वास्तविक कार्य-निष्पादन खराब अथवा औसत से कम रहा है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार आन्ध्र प्रदेश में राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रगति आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र फील्ड सत्यापन कराती है; और

(ङ) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रशासन को महत्वपूर्ण कल्याण संकेतकों में कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) प्रारंभ किया गया था और 1982, 1986 और 2006 में इसे तीन बार पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित कार्यक्रम, जिसे टीपीपी-2006

के नाम से जाना जाता है, 1 अप्रैल, 2007 से लागू किया गया। बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) के कार्य-निष्पादन की निगरानी संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर की जाती है। बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) की निगरानी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा लक्ष्यों में निर्धारित प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर भी की जाती है, जहां भी ऐसे लक्ष्य संबंधित कार्यक्रम घटकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कार्य-निष्पादन अनुबंध I में तथा आंध्र प्रदेश का कार्य-निष्पादन अनुबंध II में रखा गया है।

ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण आजीविका, वनीकरण और उपलब्धियों से संबंधित अन्य संकेतक की संबंधित सूचना तथा वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए उपलब्ध लक्ष्यों की जानकारी अनुबंध III में दी गई है।

(ग) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) वर्तमान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन को 'खराब' अथवा 'औसत से कम' जैसी श्रेणियों के अंतर्गत संकलित या वर्गीकृत नहीं करता है।

(घ) और (ङ) बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत डेटा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना और उनकी उपलब्ध रिपोर्टों/प्रकाशनों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। एमओएसपीआई सामान्यतः एकत्रित डेटा का स्वतंत्र क्षेत्रीय सत्यापन नहीं करता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हैं, और कार्य-निष्पादन में सुधार तथा कार्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित सुधारात्मक उपाय करते हैं।

अनुबंध I

तालिका 1: बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन क्षेत्र-

क्र. सं.	मद	संकेतक	बिहार	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
			वित्त वर्ष 2025-2026 में उपलब्धियां		
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत रोजगार सृजन	जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या (लाखों में)	223.23	174.33	97.84
2		लोगों के लिए सृजित कार्य दिवस (लाखों में)	1467.91	1410.79	1128.33
3		नकद में दी गई मज़दूरी (रू लाखों में)	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	वित्त वर्ष के दौरान पदोन्नत किए गए एसएचजी (नए और पुनर्जीवित) की संख्या	984022	770968	463638
5		वित्त वर्ष के दौरान रिवालविंग निधि (आरएफ) प्रदान किए गए एसएचजी की संख्या	280240	726499	400049
6		वित्त वर्ष के दौरान संचयी निवेश कोष (सीआईएफ) को प्रदान किए गए एसएचजी की संख्या	2643	588470	222812

नोट: उ.न. - उपलब्ध नहीं

अनुबंध II

तालिका 2: आंध्र प्रदेश राज्य में बीस सूत्री कार्यक्रम केअंतर्गत गरीबी उन्मूलन और अवसंरचना क्षेत्र

आंध्र प्रदेश			
मद	**संकेतक**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत रोजगार सृजन	जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या (लाखों में)	उ.न.	2.623
	सृजित रोज़गार (लाख मानव दिवस) लोगों के लिए सृजित कार्य दिवस (लाखों में)	1850	1859
	नकद में दी गई मज़दूरी (लाखों रुपये में)	उ.न.	495278
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	वित्त वर्ष के दौरान पदोन्नत किए गए एसएचजी (नए और पुनर्जीवित) की संख्या	2500	3115
	वित्त वर्ष के दौरान रिवालविंग निधि (आरएफ) प्रदान किए गए एसएचजी की संख्या	1000	उ.न.
	वित्त वर्ष के दौरान संचयी निवेश कोष (सीआईएफ) को प्रदान किए गए एसएचजी की संख्या	2350	3106
ग्रामीण आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण	ग्रामीण आवास कार्यक्रम - पीएमएवाई-(जी)	42355	14776
शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस /एलआईजी मकान	शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस आवास	476739	88849
ग्रामीण सड़कें - पीएमजीएसवाई	निर्मित सड़क की लंबाई (किमी.)	1404.37	484.44
ऊर्जावर्धक पंप सेट	पम्पसेटों सक्रिय	104842	83126
जल जीवन मिशन - त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	100% एफएचटीसी गांव वाले एचएच की संख्या	उ.न.	3306938
	एचजेजी प्रमाणित गांव वाले परिवारों की संख्या	उ.न.	उ.न.
बिजली की आपूर्ति	बिजली की मांग (एमयू)	उ.न.	81204
	आपूर्ति की गई बिजली (एमयू)	उ.न.	81197
	पाई गई कमी (एमयू)	उ.न.	7
	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	उ.न.	16158
वनीकरण (सार्वजनिक और वन भूमि)	वृक्षारोपण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर)	207887.000	127367.151
	लगाए गए पौधों की संख्या (लाखों सं.)	1351.270	833.353

नोट: उ.न. - उपलब्ध नहीं

अनुबंध III

तालिका 3: बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अवसंरचना और वनीकरण क्षेत्र-

मद	संकेतक	बिहार		उत्तर प्रदेश		मध्य प्रदेश	
		लक्ष्य	उपलब्धि (वित्त वर्ष 2025-26)	लक्ष्य	उपलब्धि (वित्त वर्ष 2025-26)	लक्ष्य	उपलब्धि (वित्त वर्ष 2025-26)
ग्रामीण सड़कें - पीएम जीएसवाई	निर्मित सड़क की लंबाई (किमी.)	1293	1194	840	819	1202	1167
ऊर्जावर्धक पंप सेट	पम्पसेटों सक्रिय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
जल जीवन मिशन - त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) वाले आवास (एचएच) की संख्या	उ.न.	15275694	उ.न.	18355283	उ.न.	6853741
	हर घर जल (एचजीजे) प्रमाणित गांव के आवासों की संख्या	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
बिजली की आपूर्ति	बिजली की मांग (एमयू)	उ.न.	47440	उ.न.	163501	उ.न.	103711
	आपूर्ति की गई बिजली (एमयू)	उ.न.	47425	उ.न.	163475	उ.न.	103696
	पाई गई कमी (एमयू)	उ.न.	14	उ.न.	26	उ.न.	15
वनीकरण (सार्वजनिक और वन भूमि)	वृक्षारोपण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	लगाए गए पौधों की संख्या (लाखों सं.)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न. ह	उ.न.	उ.न.

नोट: उ.न. - उपलब्ध नहीं

तालिका 4: प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	स्वीकृत मकान*	निर्माण किए गए मकान*
1	बिहार	520742	473849	267779
2	मध्य प्रदेश	785336	558903	490185
3	उत्तर प्रदेश	उ.न.	उ.न.	19412

* पिछले वर्षों के आवंटन सहित; उ.न.: उपलब्ध नहीं